



पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी एप्प (सी.बी.डी.सी. वॉलेट)

रिजर्व बैङ्क ऑफ इण्डियाक सेण्ट्रल
बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सी.बी.डी.सी.)
कार्यक्रमक अन्तर्गत पायलट योजना

संस्थान/विश्वविद्यालयमे पेशेवर/
तकनीकी पाठ्यक्रममे नामाङ्कित
छात्रक लेल शिक्षा ऋण
योजनाक दिशानिर्देश हिसाबे
योग्य विद्यार्थी

छात्रक लगमे पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपया वॉलेटमे
अनुदान राशि प्राप्त करबाक 30 दिनक भीतर अपन शिक्षा
ऋण खातामे अनुदान राशि रिडीम करबाक अछि।

सभ साल, छात्रक लग पीएम-
विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेटमे
ई-र प्राप्त करबाक लेल 30 दिनक
भीतर अपन शिक्षा ऋण खातामे
ई-र केँ हस्तान्तरण केर अनुमोदन
करबाक अछि।

एहि आवेदन सँ प्रमाणिकता,
लघु-लेखा अनुमोदन योग्यता बढैत
अछि, आ धनक पारदर्शी उपयोग
सुनिश्चित होइत अछि।

वितरणसँ पहिने आवश्यक दस्तावेज



आधार कार्ड : शिक्षा ऋण भेटबा सँ पहिने
पैन कार्ड : शिक्षा ऋण लेल आवेदन करबाक समय



पासपोर्ट आकारक रङ्गीन फोटो (विद्यार्थी आ
सह-आवेदक, जँ आवश्यक हो)



अङ्कपत्र + वर्ग X, XII, स्नातक वा अन्तिम उत्तीर्ण
परीक्षा – सेमेस्टर अनुसार



प्रवेश / प्रस्ताव पत्र खर्चक हिसाबक सङ्ग



सरकारीक सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/
एस.डी.एम. कोर्ट) सँ आय प्रमाण पत्र – माल
ओहि लोकक लेल लागू जे ब्याज सब्सिडीक
लेल पाल छथि



आवेदन लेल स्कैन करू

Internet
आधारक

*T&C Apply



Department of Higher Education
Ministry of Education
Government of India

भारतक युवाकेँ सशक्त करब





पी.एम.-विद्यालक्ष्मी योजना

देश के चयनित गुणात्मक उच्च शिक्षण संस्थान
(QHEIs) लेल शिक्षा ऋण योजना

<https://www.dohe-education.gov.in/departments/our-bureaus/details/scholarships-education-loan-MDO2AjMtQWa>

कोलेटरल फ्री आ गारण्टर
फ्री शिक्षा ऋण।

₹7.50 लाखसम्मको ऋणमा भारत
सरकारद्वारा 75% क्रेडिट ग्यारेन्टी
प्रदान गरिनेछ।

एक सरल, पारदर्शी,
छात्र-मित्र आ पूर्णतः
डिजिटल प्रक्रिया।

पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमक लेल ₹10
लाख तक केर ऋण पर ओहि विद्यार्थीकेँ
मोरेटोरियम अवधिक अन्तर्गत पूर्ण ब्याज
सब्सिडी भेटत जकर वार्षिक पारिवारिक
आय 8 लाख धरि अछि।

व्यक्तिगत बैङ्क केर बाह्य
मानक ऋण दर (EBLR) +
0.5% पर ब्याज दर निश्चित
कएल गेल अछि।

पर ऑनलाइन आवेदन करू
<https://pmvidyalaxmi.co.in>

पी.एम. यू.एस.पी. सी.एस.आइ.एस. (सेण्ट्रल सेक्टर इण्टरेस्ट सब्सिडी स्कीम)

₹4.50 लाख तकक वार्षिक
पारिवारिक आयबला छात्रक लेल
₹10 लाख तक केर ऋण पर पूर्ण
ब्याज अनुदान।

एहि योजनाक लाभ ओहि छात्र
सभकेँ भेटत जे योजनाक दिशानिर्देश
अनुसारे योग्य छथि आ संस्थान/
विश्वविद्यालयमे पेशेवर/तकनीकी
पाठ्यक्रममे नामाङ्कित छथि।

एहि योजनाक लाभ सभ निर्धारित
बैङ्क/क्षेत्रीय ग्रामीण बैङ्क (आर.
आर.बी.)/सहकारी बैङ्कक माध्यमसँ
उपलब्ध अछि।

बेसी जनतब लेल, एतए देखू
<https://www.dohe-education.gov.in/departments/our-bureaus/details/scholarships-education-loan-MDO2AjMtQWa>



Internal